

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक: 2 जून, 2016

संख्या-1/सी0-1012/2016-सा0प्र0-7909 / लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण (फेज-1) के व्यावसायिक प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष, 2015 बैच के परीक्ष्यमान पदाधिकारियों को उनके द्वारा राज्य सरकार के अधीन पदभार ग्रहण की तिथि से जिला प्रशिक्षण हेतु उनके नाम के समक्ष अंकित जिला में सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता है :-

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	संबंधित जिला
1	श्री सुहर्ष भगत (2015)	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)
2	श्री भावेश मिश्र(2015)	भागलपुर
3	श्री अमन समीर(2015)	बाँका
4	श्री सावन कुमार(2015)	मुजफ्फरपुर
5	श्री सज्जन आर(2015)	नालन्दा
6	श्री प्रशांत कुमार सी एच (2015)	गया
7	सुश्री जे0 प्रियदर्शिनी(2015)	पटना
8	श्री घनश्याम मीणा(2015)	जहानाबाद
9	श्री मनेश कुमार मीणा(2015)	पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)

2. साथ ही, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन उपर्युक्त पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी नियुक्ति किया जाता है। इन सभी पदाधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 के अंतर्गत भी शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विजय मोहन नागपटनी)

सरकार के अवर सचिव।

ई-मेल / फ़ैक्स

ज्ञापांक:-1/सी0-1012/2016-सा0प्र0-7909 /पटना-15, दिनांक: 2 जून, 2016

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा- आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/ कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार, बिहार, पटना/ राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/ निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/महानिदेशक, बिपार्ड, पटना/ श्री मिरांडा दास, सहायक निदेशक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी-248 179(उत्तराखंड)(फ़ैक्स-0135 -2632350/ ई-मेल- adminsec.lbsnaa@nic.in)/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित परीक्ष्यमान पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विजय मोहन नागपटनी)

सरकार के अवर सचिव।